न्यायालय:—न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला जिला बैतूल(म०प्र०) (पीठासीन अधिकारी—धन कुमार कुड़ोपा)

<u>दांडिक प्रकरण क0-226 / 15</u> <u>संस्थित दिनांक 11 / 05 / 15</u> <u>फाईलिंग नं0 233504002392015</u>

मध्य प्रदेश शासन द्धारा आरक्षी केन्द्र, थाना आमला, जिला बैतूल (म०प्र०)

____अभियोजन.

-: <u>विरूद्ध</u>:--

रामपाल उर्फ रामप्रकाश पिता हगरी कापसे, उम्र 33 वर्ष, जाति कुन्बी, पेशा कृषि, नि0 ग्राम कनौजिया, थाना आमला, जिला बैतूल (म०प्र०),

<u>----अभियुक्त.</u>

<u>—: निर्णय :—</u> (आज दिनांक— 17/02/2017 को घोषित)

- 1— अभियुक्त रामपाल उर्फ रामप्रकाश के विरूद्ध भा0दं0वि0 की धारा 304 "ए" के तहत् अभियोग है कि आपने दिनांक 26/04/15 के 1:30 बजे रात्रि ग्राम कनौजिया जुटानी कापसे के घर के पीछे, थाना आमला, जिला बैतूल म0प्र0 में आपके द्वारा मृतक पूरन पुण्डे के थ्रेसर पर काम करने से पहले ये नहीं समझाया गया कि थ्रेसर पर काम करने के पहले गले में पड़े हुये गमछे को हटा दे तथा थ्रेसर पर काम करते हुये निश्चित दूरी बनाकर काम करें, उक्त लापरवाही के चलते पूरन पुण्डे की मृत्यु कारित हुई जो कि आपराधिक मानव वद्य की कोटि में नहीं आता।
- 2— अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी ग्राम कनोजिया रहता है किसानी का काम करता है कि दिनांक 26/04/15 को गुटानी कापसे के घर के पिछे खिलयान में उसके घर की थ्रेसर गेंहू की दावन करने गये थे उस समय थ्रेसर पर पूरन पुण्डे रामपाल कापसे दिनदयाल भी उपस्थित थे कि गेंहू की दावन करते समय अचानक पूरन का पैर स्लिप होने से पूरन पुण्डे थ्रेसर के उपर गिर गया जिससे सिर में चोट आने से मौके पर ही खतम हो गया है। खबर सुनकर वह तुरन्त थ्रेसर के पास पहुँचा देखा तो पूरन पुण्डे को सिर के गहरी चोट आई थी एवं थ्रेसर पर गिरने से आई चोट से मृत्यु हो गई।

- 3— प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट बनाई गई। जिसके आधार पर अप0कं. 236/15 अंतर्गत धारा 304 'ए' भा0द0वि0 का अपराध पंजीबद्ध किया गया। मर्ग इन्टीमेशन प्र0पी0 6 है। नक्शा पंचायतनामा प्र0पी0 2 है। मृत्यु जांच पंचायतनामा प्र0पी0 1 है। पी0एम0 रिपोर्ट तैयार किया गया है। दिनांक 26/04/15 का घटना स्थल का नक्शा मौका प्र0पी0 7 तैयार किया गया। दिनांक 02.05.15 को सम्पत्ति जप्ती पत्रक तैयार किया गया। साक्षियों के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किए गए। अभियुक्त को गिरफ्तार कर, गिरफतारी पंचनामा बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
- 4— अभियुक्त के विरूद्ध धारा 313 दं०प्र०सं० के अंतर्गत अभियुक्त का अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त ने अपने अभियुक्त परीक्षण में कहां कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है। बचाव पक्ष ने अपने बचाव में कोई बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

5— न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न यह है कि:-

1— ''आपने दिनांक 26/04/15 के 1:30 बजे रात्रि ग्राम कनौजिया जुटानी कापसे के घर के पीछे, थाना आमला, जिला बैतूल म0प्र0 में आपके द्वारा मृतक पूरन पुण्डे के थ्रेसर पर काम करने से पहले ये नहीं समझाया गया कि थ्रेसर पर काम करने के पहले गले में पड़े हुये गमछे को हटा दे तथा थ्रेसर पर काम करते हुये निश्चित दूरी बनाकर काम करें, उक्त लापरवाही के चलते पूरन पुण्डे की मृत्यु कारित हुई जो कि आपराधिक मानव वद्य की कोटि में नहीं आता?''

—ः <u>निष्कर्ष एवं उसके आधार</u>ः— विचारणीय प्रश्न क0 1 का निराकरण

6— अभियोजन साक्षी धनराज (अ०सा०1) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि घटना के समय उसका भाई उसके ससुर के थ्रेसर में काम करने गया था। आरोपी रामपाल के पिताजी ने उसके घर आकर उसकी बहन को कुछ बताया तो उसकी बहन उसकी भाभी है रोने लगी वह उठकर घटना स्थल पर पहुँचा तो वहां देखा कि उसके भाई के लाश घटना स्थल पर पड़ी थी और शरीर पर कोई कपड़ा नहीं और आधा सिर फट चुका था। इस गवाह ने सूचक प्रश्न की कंडिका 3 में स्वीकार किया है कि थ्रेसर चालक रामपाल के द्वारा अचानक थ्रेसर चालु कर देने पूरन को यह नहीं समझाने की काम करने गले से गमच्छा हटा दो तथा थ्रेसर दूरी पर रहकर काम करों के कारण पूरन की मृत्यु हो गई थी। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि घटना के समय रामपाल ट्रेक्टर में मौजूद नहीं जिससे वह समय रहते ट्रेक्टर एवं थ्रेसर बंद नहीं कर सका। इस प्रकार उसकी लापरवाही से उसके भाई पूरन की थ्रेसर में फंसने से मृत्यु हुई।

7— जबिक इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 5 में स्वीाकर किया है कि घटना होते समय वह घटना स्थल पर नहीं था उसे बाद में लोगों ने बताया था उसके बाद वह घटना स्थल पर पहुँचा था। आगे इस गवाह ने स्वीकार किया है कि घटना होते हुये उसने नहीं देखी थी। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 6 में स्वीकार किया है कि लोगों ने बताया था कि घटना होते समय रामपाल नहीं था। इस प्रकार इस गवाह के मुख्य परीक्षा सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा में किए गए विसगंत् कथनों से यह स्पष्ट होता है कि इस गवाह ने घटना होते हुये नहीं देखा। ऐसी परिस्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि अभियुक्त रामपाल के द्वारा घटना दिनांक को थ्रेसर पर काम करने से पहले यह नहीं समझाया गया कि थ्रेसर पर काम करने के पहले गले में पड़े हुये गमच्छे को हटा दे तथा थ्रेसर पर काम करते हुये निश्चित दूरी बनाकर काम करें। इस प्रकार अभियुक्त के द्वारा लापरवाही पूर्ण व उपेक्षापूर्ण थ्रेसर को चलाया गया हो, यह स्पष्ट नहीं होता है।

अभियोजन साक्षी गुटानी (अ०सा०२) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि घटना के समय मृतक पूरन आरोपी रामपाल की ट्रेक्टर थ्रेसर में काम कर रहा था। रामपाल ही थ्रेसर का संचालन कर रहा था। मशीन रामपाल की ही थी। मशीन में पूरन काम करते–करते पूरन मशीन में फंस गया, जब वह मशीन के पास पहुँचा, तब उसने देखा कि पूरन मशीन से नीचे गिरा पड़ा था। पूरन का सामने का चेहरा मशीन में फंस गया था। पूरन की मृत्यु हो गयी थी। इस गवाह ने सूचक प्रश्न की कंडिका 3 में स्वीकार किया है कि दिनांक 26/04/15 को आरोपी ट्रेक्टर एवं थ्रेसर चालक रामपाल द्वारा अचानकर थ्रेसर चालु कर देने एवं पूरन को यह नहीं समझाना की काम करने से पहले गले से हमच्छा हटा दो तथा थ्रेसर दूरी पर रह कर करो के कारण पूरन की मृत्यु हो गई थी। जबकि इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 5 में स्वीकार किया है कि घटना होते समय वह घटना स्थल पर नहीं था। उसे बाद में लोगों ने बताया था उसके बाद वह घटना स्थल पर पहुँचा था। आगे इस गवाह ने स्वीकार किया है कि उसने घटना होते हुये नहीं देखी थी। इस प्रकार इस गवाह के द्वारा प्रतिपरीक्षा में किए गए विसंगत् कथनों से यही स्पष्ट होता है कि इस गवाह ने घटना होते हुये नहीं देखा है। ऐसी परिस्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि अभियुक्त के द्वारा थ्रेसर पर काम करने से पहले यह नहीं समझाया गया कि गले में पड़े ह्ये गमच्छे को हटा दे तथा श्रेसर पर काम करते हुये निश्चित दूरी बनाकर काम करें उक्त लापरवाही के चलते पूरन की मृत्यु हुई।

9— अभियोजन साक्षी रामदयाल (अ०सा०३) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि घटना के समय मृतक पूरन आरोपी रामपाल की ट्रेक्टर थ्रेसर में काम कर रहा था। रामपाल ही थ्रेसर का संचालन कर रहा था। मशीन रामपाल की ही थी। वह घटना के समय घर पर था। उसे उसके भाई धनराज ने बताया कि पूरन थ्रेसर में फंस गया है, खबर सुनकर वह मौके पर पहुँचा वहां उसने देखा कि पूरन की लाश पड़ी थी। उसका आधा चेहरा नहीं था और पूरन वहीं पर पड़ा था। रामपाल की गलती से उसका भाई मशीन में फंस गया था। इस गवाह ने सूचक प्रश्न की कंडिका 3 में स्वीकार किया है

कि दिनांक 26/04/15 को आरोपी ट्रेक्टर एवं थ्रेसर चालक रामपाल द्वारा अचानक थ्रेसर चालु कर देने एवं पूरन को यह नहीं समझाने की काम करने से पहले गले से कमच्छा हटा दो तथा थ्रेसर दूरी पर रहकर काम करो के कारण पूरन की मृत्यु हो गई थी।

10— आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 5 में स्वीकार किया है कि घटना के समय घटना स्थल पर नहीं था। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है किघटना होते हुये उसने नहीं देखी है उसे घटना की जानकारी उसके भाई द्वारा फोन पर दी गई उसके बाद वह घटना स्थल पर पहुँचा था। आगे इस गवाह ने यह स्वीकार किया है कि वह घटना स्थल पर नहीं था इसलिए वह नहीं बता सकता कि घटना किसकी गलती से हुई थी। इस प्रकार इस गवाह के द्वारा प्रतिपरीक्षा में किए गए विसंगत् कथनों से यही स्पष्ट होता है कि इस गवाह ने घटना होते हुये नहीं देखा है और घटना किसकी गलती से हुई थी। ऐसी परिस्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि अभियुक्त के द्वारा थ्रेसर पर काम करने से पहले यह नहीं समझाया गया कि गले में पड़े हुये गमच्छे को हटा दे तथा थ्रेसर पर काम करते हुये निश्चित दूरी बनाकर काम करें उक्त लापरवाही के चलते पूरन की मृत्यु हुई।

11— अभियोजन साक्षी अशोक (अ०सा०४), अभियोजन साक्षी टीकाराम (अ०सा०५), अभियोजन साक्षी ताराबाई (अ०सा०६), अभियोजन साक्षी रूखमणी (अ०सा०७), अभियोजन दीनदयाल कापसे (अ०सा०८) तथा अभियोजन साक्षी विजय (अ०सा०९) ने अपनी मुख्य परीक्षा, सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा में घटना घटित होने का समर्थन नहीं किया है।

12— उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त ने मृतक पूरन पुण्डे को थ्रेसर पर काम करने से पहले ये नहीं समझाया गया कि थ्रेसर पर काम करने के पहले गले में पड़े हुये गमछे को हटा दे तथा थ्रेसर पर काम करते हुये निश्चित दूरी बनाकर काम करें, उक्त लापरवाही के चलते पूरन पुण्डे की मृत्यु कारित हुई, जो कि आपराधिक मानव वद्य की कोटि में नहीं आता। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न कं 1 का निराकरण "अप्रमाणित" रूप से किया जाता है।

13— उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्धारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति—युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त ने मृतक पूरन पुण्डे को थ्रेसर पर काम करने से पहले ये नहीं समझाया गया कि थ्रेसर पर काम करने के पहले गले में पड़े हुये गमच्छे को हटा दे तथा थ्रेसर पर काम करते हुये निश्चित दूरी बनाकर काम करें, उक्त लापरवाही के चलते पूरन पुण्डे की मृत्यु कारित हुई, जो कि आपराधिक मानव वद्य की कोटि में नहीं आता। इस प्रकार अभियुक्त रामपाल उर्फ रामप्रकाश को भा0द0वि0 की धारा— 304 "ए" के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

14— प्रकरण में अभियुक्त के धारा 313 द०प्र०सं० के पूर्व प्रस्तुत जमानत मुचलके

भारमुक्त किए जाते है। अभियुक्त का धारा 428 द0प्र0सं० का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

15— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन ट्रेक्टर महिन्द्रा क्रमांक एम0पी0 48 ए 3339 पूर्व से आवेदक / सुपुर्ददार दीनदयाल पिता हगरीजी नि0ग्राम कनौजिया की सुपुर्दगी में है। उक्त वाहन के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति ने दावा नहीं किया है। अतः सुपुर्दनामा आदेश निरस्त किया जाता है। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश मान्य किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर घोषित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित।

(धनकुमार कुड़ोपा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, जिला बैतूल म0प्र0

(धनकुमार कुड़ोपा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला, जिला बैतूल म0प्र0